

भारत सरकार  
अतिरिक्त सचिव, लोक सेवा आयोग  
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 नवम्बर, 1975

कार्मिक सुधार

विषय:- अधीनस्थ विधान समिति (पचिसों लोक सेवा) को 14 वीं रिपोर्ट पैरा 104, 107 में दो गई सिफारिशों जिनमें एक सुझाव दिया गया है कि भर्ती नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यात्मक गठन का उल्लेख किया जाये।

मुझे यह कानून का निदेश हुआ है कि अधीनस्थ विधान समिति (पचिसों लोक सेवा) ने अपनी 14 वीं रिपोर्ट के पैरा 107 के द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि अतिरिक्त सचिव, लोक सेवा आयोग (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) जो भर्ती समर्थन भागों में एक समन्वय स्थापित करने वाला प्राधिकरण है, सभी भर्ती/विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे गृह मंत्रालय (एच कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 11 अगस्त 1967 के कार्यालय आदेश 20/3/67-स्थापना(घ) द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों में अनुसूची 1 के कालम 12 में विभागीय पदोन्नति समिति I, विभागीय पदोन्नति समिति II तथा विभागीय पदोन्नति समिति III जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग न करें, बल्कि उक्त कालम भर्ती नियमों में इस कालम के नीचे विभागीय पदोन्नति समिति का उल्लेख करने का उल्लेख करें।

2 अधीनस्थ विधान समिति को सिफारिश पर उक्त लोक सेवा आयोग के कार्यालय से विचार किया गया है और उक्त सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया गया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उक्त शब्दों के अलावा अन्य नाम दिए बिना ही विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल किए गए सभी उक्त शब्दों के पदनाम प्रारम्भ के कालम 12 के नीचे जिनमें भर्ती नियमों को प्रकाशित किया जाता है, दिए जाएं। उदाहरण के लिए कुछ नए शब्दों के अलावा ही विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :-

उदाहरण - उक्त लोक सेवा आयोग का अधिनियम। उदाहरण।

शब्द -

ए. के. नोबे द्वारा का पद नाम देते हुए  
विभागों/पदीनति समिति में शामिल किए गए  
व्यक्तियों के पदनाम, परिवर्तनशीलता की ध्यान  
में ए.के. नोबे विद्वानों को दर्शाया जाए ।

3. विभागों/पदीनति समिति का गठन करते समय मंत्रालय/विभाग इस  
विभाग के दिनांक 29 जून, 1973 के का०जा० सं० 1/19/72-स्थापना(घ) में दिए  
गए अनुदेशों की ध्यान में ए.के. नोबे के अनुसार उपाय के तथ्याच के पदों के लिए  
विभागों/पदीनति समितियों में रखे गए शब्द श्रेणी अधिकारों होने चाहिए जो उस  
पद से कम से कम एक श्रेणी ऊपर के पद के हों जिन पर स्थापना/पदीनति  
को जानो है । उपर्युक्त निर्णय की ध्यान में ए.के. नोबे हुए विद्यमान सभी भर्ती  
निर्णयों के कालम 12 के नोबे को प्रतिष्ठित की का जा विभाग के परामर्श से  
संशोधित किया जाए ।

(संशुद्धि)

निदेशक, भारत सरकार ।

- (1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभाग (जिसमें कार्मिक और प्रशासनिक  
सुधार विभाग के अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालय शामिल हैं) ।
- (2) उच्च लेवल सेवा कार्यालय (10 वरिष्ठ प्रतियों सहित) की उनके  
4 अक्टूबर, 1975 के पत्र संख्या 2/18/75-सार०जा०के संदर्भ ।
- (3) लोक उभा अतिथालय(कमेटी 11 प्रान्त) संसद भवन, नई दिल्ली  
की उनके 28 जुलाई, 1975 के का०जा० सं० 42/16-सो-11-74 के  
संदर्भ में ।
- (4) ए.के. नोबे अतिथालय(कमेटी 1 प्रान्त) संसद भवन  
नई दिल्ली की उनके दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के का०जा०  
सं० 6/30/75-कमेटी-1 के संदर्भ में ।